

प्रेस नोट
दिनांक 16.07.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

**थाना धानेपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-
कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 176/2024 धारा 498A, 304B भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट से सम्बन्धित 03 नामजद अभियुक्तगण 01. चन्द्रपाल मिश्रा, 02. विजय पाल, 03. विनय कुमारी को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.06.2024 को वादी द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी बहन को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 176/2024 धारा 498A, 304B भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट बनाम चन्द्रपाल मिश्रा आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्तों 01. चन्द्रपाल मिश्रा, 02. विजय पाल, 03. विनय कुमारी को आज दिनांक 16.07.2024 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. चन्द्रपाल मिश्रा पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम त्रिभुवन नगर ग्रण्ट शुक्ला गाँव थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा ।
02. विजय पाल पुत्र द्वारिका निवासी ग्राम त्रिभुवन नगर ग्रण्ट शुक्ला गाँव थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।
03. विनय कुमारी पत्नी द्वारिका निवासी ग्राम त्रिभुवन नगर ग्रण्ट शुक्ला गाँव थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 176/2024 धारा 498A, 304B भादवि व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०नागेश्वर नाथ पटेल
02. हे०का० बागीश दूबे
03. का० प्रदीप कुमार
04. म०का० सुशील देवी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.07.2024, थाना वजीरगंज
जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत महिला के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 298/2024, धारा 64 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामकेवल मौर्या पुत्र झम्मन मौर्या निवासी ग्राम ढोढियापारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को थाना वजीरगंज पुलिस के द्वारा ग्राम इमलिया में सड़क के किनारे स्थित काली मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना वजीरगंज पर सूचना दिया वह अपने घर के बरामदे में सो रही थी की विपक्षी राम केवल मौर्या ने जबरियन उसके साथ दुराचार किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0सं0- 298/2024, धारा 64 बीएनएस बनाम रामकेवल मौर्या के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 16.07.2024 को थाना वजीरगंज की पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त रामकेवल मौर्या पुत्र झम्मन मौर्या निवासी ग्राम ढोढियापारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को थाना वजीरगंज पुलिस के द्वारा ग्राम इमलिया में सड़क के किनारे स्थित काली मन्दिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. रामकेवल मौर्या पुत्र झम्मन मौर्या निवासी ग्राम ढोढियापारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 298/2024, धारा 64 बीएनएस थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष अभय सिंह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी
03. का0 मंजीत सिंह
04. का0 दीपक यादव
05. का0 अनुज तिवारी

06. म०का० रीशू वर्मा
07. म०का० सुमन यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 16.07.2024, थाना इटियाथोक

जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 274/2024, धारा 65(1)बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आदिल शेख पुत्र जमील निवासी बड़की जोकाही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गोण्डा बलरामपुर मार्ग पर कठौवा जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा दिनांक 15.07.2024 को थाना इटियाथोक पुलिस को सूचना दी गई की उनकी नाबालिग पुत्री मेला देखकर अकेली आ रही थी विपक्षी आदिल शेख उसकी नाबालिग लड़की को जबरदस्ती खीच लेजाकर उसके साथ दुराचार किया है। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में मु०अ०सं०- 274/2024, धारा 65(1)बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम आदिल शेख के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 16.07.2024 को वांछित अभियुक्त आदिल शेख पुत्र जमील निवासी बड़की जोकाही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गोण्डा बलरामपुर मार्ग पर कठौवा जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. आदिल शेख पुत्र जमील निवासी बड़की जोकाही थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 274/2024, धारा 65(1)बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला
02. हे0का0 स्वामीनाथ मौर्या
03. का0 श्रवण मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 16.07.2024, मॉनिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 04 माह का सश्रम कारावास व रूपए 08,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 04 माह का कारावास व रु0 08,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 11.11.2022 को थाना खरगपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त रज्जन उर्फ ईशा पुत्र यूसुफ निवासी दर्जीपूर्वी कस्बा खरगपुर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहरीर म0का0 नम्रता चौधरी व थाना खरगपुर के पैरोकार हे0का0 अटल कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट कोर्ट श्री सुर्य प्रकाश सिंह महोदय द्वारा 04 माह सश्रम कारावास व रु 8,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. रज्जन उर्फ ईशा पुत्र यूसुफ निवासी दर्जीपूर्वी कस्बा खरगपुर थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-332/2022, धारा 8/21(ख) एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।